



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दूरभाष 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2022/1861

दिनांक:-9.5.2022

जोनल मैनेजर /मुख्य प्रबन्धक,
राजस्थान परिवहन निगम,
..... आगार।

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 18.05.2022 से दिनांक 20.05.2022 तक आयोजित होने वाली "कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा -2022" में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 बिन्दु संख्या 59 के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान परिवहन निगम में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में जारी इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा-58/2021/1147 दिनांक 16.4.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की बजट घोषणा 2021-2022 के बिन्दु संख्या 59.0 की पालना में शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(6) परि/2021/जयपुर दिनांक 15.4.2021 के बिन्दु संख्या 1 एवं 8 द्वारा केन्द्र एवं राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/दुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा की प्राप्त सहमति के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 18.05.2022 से दिनांक 20.05.2022 तक आयोजित होने वाली "कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा -2022" के परीक्षार्थियों को राजस्थान राज्य सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जानी है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में आपको निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:-

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 18.05.2022 से दिनांक 20.05.2022 तक कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा -2022 का आयोजन किया जाना है।
2. इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निवास स्थान से केन्द्र वाले शहर तक आने एवं परीक्षा पश्चात् केन्द्र वाले शहर से निवास स्थान तक जाने हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के एक दिन पश्चात् तक देय होगी।
3. बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने एवं आने के लिए ही होगा।
4. परीक्षार्थी को यह सुविधा एक बार निवास स्थान से परीक्षा केन्द्र पर जाने के लिए एवं एक बार परीक्षा केन्द्र से निवास स्थान तक आने के लिए ही देय होगी।
5. यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए ही होगी, उनके परिवार के सदस्यों को नियमानुसार टिकट लेकर यात्रा करनी होगी।
6. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक/टिकट काउन्टर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकट बनाया जा सकें।
7. यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटो युक्त आईडी साथ में रखना अनिवार्य होगा।
8. यदि परीक्षार्थी के गांव/शहर से परीक्षा केन्द्र तक जाने एवं वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं परन्तु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना एवं वहां से वापस आना ही होना आवश्यक है।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
कार्यकारी निर्देशक (यातायात)

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (121)/2022/1861

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:-9.5.2022

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त महाप्रबन्धक/संयुक्त महाप्रबन्धक (), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. उप महा प्रबन्धक (आई/टी./सांख्यिकी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाइट पर उपलब्ध कराना एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी नियन्त्रण कक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
9. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसम्पर्क/संचालन), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
10. आदेश पत्रावली।

IT/854
10/05/22

Mam
9/5/22
(मनोज बंसल)
महाप्रबन्धक (यातायात)